

प्रेस नोट

थाना कोतवाली पीलीभीत पुलिस द्वारा 10000 रुपये के पुरस्कार घोषित अपराधी को मय एक तमन्चा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया

श्रीमान पुलिस अधीक्षक पीलीभीत महोदय द्वारा चलाये जा रहे पुरस्कार घोषित/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में दि- 27.05.2021 को उ0नि0 श्री लोकेन्द्रपाल सिंह व हे0का0 242 कप्तान सिंह व का0 1332 मनीष यादव थाना कोतवाली पीलीभीत द्वारा 10000 रुपये का पुरस्कार घोषित अभि0 रेहान पुत्र मोहम्मद अहमद निवासी ग्राम डगा थाना माधौटाण्डा जिला पीलीभीत उम्र 26 वर्ष को मय एक अदद तमन्चा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 - 120/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभि0 रेहान उपरोक्त को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

अभियुक्त का नाम-

रेहान पुत्र मोहम्मद अहमद निवासी ग्राम डगा थाना माधौटाण्डा जिला पीलीभीत उम्र 26 वर्ष

बरामदगी-

एक अदद तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

पुरस्कार घोषित धनराशि -

10,000/ रुपये -- (थाना माधौटाण्डा)

आपराधिक इतिहास (चालानी थाना माधौटाण्डा)-

- (1) मु0अ0सं0- 320/19 धारा - 307 भादवि
- (2) मु0अ0सं0-252/19 धारा - 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 व 11 पशुकूरता अधि0-
- (3) मु0अ0सं0- 229/19 धारा - 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 व 11 पशुकूरता अधि0-
- (4) मु0अ0सं0- 157/19 धारा - 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 व 11 पशुकूरता अधि0-
- (5) मु0अ0सं0- 129/18 धारा - 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 व 11 पशुकूरता अधि0-
- (6) मु0अ0सं0- 461/17 धारा - 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 व 11 पशुकूरता अधि0-
- (7) मु0अ0सं0- 155/17 धारा - 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 व 11 पशुकूरता अधि0-
- (8) मु0अ0सं0- 122/16 धारा - 03 यू0पी0 गुण्डा एक्ट
- (9) मु0अ0सं0-85/21 धारा - 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 व 11 पशुकूरता अधि0-
- (10) मु0अ0सं0 310/20 धारा 2/3 गैग्रेस्टर एक्ट
- (11) मु0अ0सं0- 120/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट (चालानी थाना कोतवाली नगर)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री लोकेन्द्रपाल सिंह थाना कोतवाली पीलीभीत
2. हे0का0 242 कप्तान सिंह थाना कोतवाली पीलीभीत
3. का0 1332 मनीष यादव थाना कोतवाली पीलीभीत

